भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 297
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना

297. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) हेतु वर्तमान नामांकन दर का राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, ब्यौरा क्या है;
(ख) छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर सेवानिवृत्ति की आयु के निकट पहुँच चुके किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या हैं;
(ग) नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाने और किसानों के पात्र आयु पर पहुँचने के पश्चात् पेंशन का सुचारू संवितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): "प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई)" एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹ 3000/- मासिक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है जो कुछ बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, पीएमकेएमवाई के अंतर्गत 2304 किसान नामांकित हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत नामांकित किसानों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत नामांकन कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है और योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएससी द्वारा पीएमकेएमवाई योजना के लिए एक पोर्टल निर्मित किया गया है। सरकार समय-समय पर इस योजना के अंतर्गत किसानों के नामांकन के लिए अभियान चलाती है। इसके अतिरिक्त, जागरूकता बढ़ाने तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के मध्य अधिक से अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(घ): इस योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया था और 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन वितरित की जाती है।

अनुबंध

पीएमकेएमवाई योजना के अंतर्गत नामांकित किसानों का राज्यवार ब्यौरा (दिनांक **14/07/2025** तक)

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	**कुल योग**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	522
आंध्र प्रदेश	32,371
अरुणाचल प्रदेश	2,378
असम	13,581
बिहार	3,45,434
चंडीगढ़	530
छत्तीसगढ़	2,02,833
दिल्ली	360
गोवा	151
गुजरात	66,563
हरियाणा	5,74,491
हिमाचल प्रदेश	3,571
जम्मू-कश्मीर	1,26,595
झारखण्ड	2,53,211
कर्नाटक	69,204
केरल	1,361
लद्दाख	115
लक्षद्वीप	72
मध्य प्रदेश	1,17,530
महाराष्ट्र	80,569
मणिपुर	590
मेघालय	747
मिजोरम	306
नागालैंड	1,185
ओडिशा	1,57,512
पुडुचेरी	148
पंजाब	13,049
राजस्थान	38,992
सिक्किम	37
तमिल नाडु	1,10,634
तेलंगाना	9,809
दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	287
त्रिपुरा	847
उत्तर प्रदेश	2,52,209
उत्तराखंड	2,159
पश्चिम बंगाल	8,324
कुल योग	**24,88,277**

*****